

**बैठक कार्यवाही विवरण**

भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाड़ी की कार्यकारिणी 6वीं बैठक दिनांक 24.01.2023 को प्रातः 11 बजे श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा, भिवाड़ी की अध्यक्षता में समागार बीडा, भिवाड़ी में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

| क्र.स | पदनाम  | समिति पद अधिकारी | नाम                      |
|-------|--|------------------|--------------------------|
| 1     | श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी                        | अध्यक्ष          | श्री रोहिताश्व सिंह तोमर |
| 2     | श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (प्रतिनिधि)                  | सदस्य            | श्री ओ.पी. साहरण         |
| 3     | उप सचिव, बीडा भिवाड़ी                                  | सदस्य सचिव       | श्रीमती सुनिता यादव      |
| 4     | मुख्य नगर नियाजक (एन.सी.आर)                            | सदस्य            | श्री ओ.पी. पारीक         |
| 5     | आयुक्त नगर परिषद भिवाड़ी                               | सदस्य            | श्री आर.के. मेहता        |
| 6     | वरिष्ठ नगर नियोजक, बीडा भिवाड़ी                        | सदस्य            | श्रीमती ईशिता जे.कुमार   |
| 7     | वरिष्ठ नगर नियोजक, (एन.सी.आर)                          | -                | श्री रविराय वर्मा        |
| 8     | अधीक्षक अभियंता बीडा भिवाड़ी                           | सदस्य            | श्री तैयब खॉन            |
| 9     | वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबंधक रिको भिवाड़ी                  | सदस्य            | श्री जी.के. शर्मा        |
| 10    | क्षेत्रिय प्रबंधक राजस्थान राज्य प्रदुषण बोर्ड भिवाड़ी | सदस्य            | श्री अमित शर्मा          |
| 11    | वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीडा भिवाड़ी                        | विशिष्ट आमंत्रित | श्री दीपक यादव           |
| 12    | प्रबंधक (विधि) रिको जयपुर                              | आमंत्रित सदस्य   | श्री अजय गुप्ता          |
| 13    | सहायक विधि परामर्शी                                    | -                | श्री प्रिंस जैमन         |

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण में गठित कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखे गये बिन्दुओं का निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है।



01. भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 14.09.2020 में लिए गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण की प्रगति व पुष्टि।

| क्र. सं. | बिन्दु   | निर्णय  | पालना   |
|----------|--|---|---|
| 1        | भिवाडी शहर में थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक करने हेतु                  | प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 665 कुल रकबा 10.75 है0 में से आंशिक भूमि पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यम घनत्व आवासीय से व्यवसायिक किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार स्तरीय समिति को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। | इस प्रकरण में राज्य सरकार से आवंटन की स्वीकृति पत्राक प. 28(21)उद्योग/1/2021 जयपुर दिनांक 29.11.2022 के द्वारा प्राप्त हो गई है। आवंटन निस्तारण प्रक्रिया की जा रही है।   |
| 6        | भिवाडी शहर में बाबा मोहनराम काली खोली पर बायोडाईवर्सिटी पार्क (Amusement Park) की स्थापना किये जाने के संबंध में | प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। भिवाडी में बाबा मोहनराम काली खोली के पास ग्राम मिलकपुर गुर्जर के खसरा नम्बर 850, 851 एवं 854 में बायोडाईवर्सिटी पार्क विकसित कराये जाने के संबंध में संभावनायें तलाश जाने के साथ ही बीडा भिवाडी द्वारा कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवाई जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।   | भिवाडी के ड्रेन मास्टर प्लान डी.पी.आर में इस प्रावधान को रखने वास्ते कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पृथक से परियोजना रिपोर्ट नहीं बनवाई जा रही<br><br>DPR के बाद इस क्षेत्र में अगर (Amusement Park) की जरूरत है तो RIPS के तहत PPP मॉडल पर विकसित किये के विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया गया। |

81

02. भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 03.02.2021 में लिए गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण की प्रगति व पुष्टि।

| क्र. सं. | बिन्दु  | निर्णय   | पालना                        |
|----------|---|--|------------------------------|
| 5        | भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में प्रचलित मास्टर प्लान में उपान्तरण (Modification) किये जाने बाबत | <p>प्रकरण में समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं निम्न बिंदुओं पर सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राधिकरण क्षेत्र में सड़कों के समुचित नेटवर्क के विकास हेतु समझौते के आधार पर अर्जित भूमि के मुआवजे स्वरूप आवंटन, निर्माण कार्य व अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मास्टर प्लान रोड नेटवर्क में दर्शित सभी सड़कों पर निर्धारित सड़क चौड़ाई के साथ-2 दोनो ओर 1.5 गुणा चौड़ाई में मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग (ग्रीन बफर, प्रतिबंधित श्रेणी के भू-उपयोग के अतिरिक्त) के स्थान पर मिश्रित भू-उपयोग भू-पट्टी रखी जावे।</li> <li>2. शाहजहापुर-नीमराना-बहरोड अरबन कॉम्प्लैक्स 2041 के प्रचलित मास्टर प्लान में आवश्यक आधारभूत सामाजिक एवं भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु 60 मीटर चौड़ाई में दर्शित Sub Arteria/Behror Ring Road के बाह्य भाग में (हाईवे कन्ट्रोल जोन के अतिरिक्त) एवं अलवर-बहरोड संपर्क सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या 14) पर सड़क की चौड़ाई एवं ग्रीन बेल्ट के अतिरिक्त 500 मीटर चौड़ाई में मिश्रित भू-उपयोग भू-पट्टी रखी जावे।</li> <li>3. प्रचलित मास्टर प्लान ग्रेटर भिवाडी 2041 एवं शाहजहापुर-नीमराना-बहरोड अरबन कॉम्प्लैक्स 2041 में औद्योगिक भू-उपयोग में ट्रांसपोर्ट नगर को अनुज्ञेय किये जावे।</li> </ol> | निविदा आमंत्रित कर ली गई है। |

2

03. भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 28.02.2021 में लिए गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण की प्रगति व पुष्टि।

| क्र. सं. | बिन्दु  | निर्णय   | पुनर्निर्णय | पालना            |
|----------|---|--|-------------|------------------|
| 3        | भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में प्रचलित मास्टर प्लान में प्राधिकरण की योजना सृजन हेतु प्रस्तावित भूमि का उपयोग राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 19(2) के अनुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत | राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 19(2)(क) में वर्णितानुसार, भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में प्रचलित मास्टर प्लान में बीडा की स्वयं की योजनाओं (यथा मास्टर प्लान सड़क/सेक्टर प्लान सड़क) के सृजन हेतु भूमि का उपयोग उपरोक्तानुसार निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। |             | प्रेषित कर दी गई |

३

04. भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की पाँचवीं बैठक दिनांक 12.11.2021 में लिए गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण की प्रगति व पुष्टि।

| क्र. सं. | बिन्दु   | निर्णय   | पालना  |
|----------|--|--|--|
| 12       | भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा ग्राम आलमपुर के समीप बीडा की रिक्त भूमि पर योजना विकसित किये जाने के संबंध में       | कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी के उक्त भूखण्ड को एकल भूखण्ड के रूप में निस्तारित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।                           | इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।                  |
| 13       | भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्राधिकार में ग्राम बटाना, तहसील नीमराणा की योजना के संबंध में                          | कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम बटाना के ख0 नं0 258 पर आवासीय योजना विकसित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। | स्कीम तैयार कर ली गई है शीघ्र ही विकसित की जावेगी।           |
| 14       | भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) की स्वीकृत व्यवसायिक योजना प्रगति लोकल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स में संशोधन किये जाने के संबंध में | कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं प्रकरण को बीडा भिवाडी की ले-आउट प्लान समिति की आगामी बैठक में रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।  | इस संबंध में ले-आउट समिति द्वारा का निर्णय किया जा चुका गया। |

४

05. भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की नवसृजित आवासीय योजना अशोक विहार, नीमराणा में भूखण्ड संख्या 52 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में –

भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी द्वारा अशोक विहार आवासीय योजना, नीमराणा विकसित की गई है। जिसमें भूखण्डों का आवंटन राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षण रखते हुए ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया गया। उक्त आवासीय योजना में श्रीमती नीता कुमारी यादव पुत्री श्री जगमाल सिंह यादव द्वारा एल.आई.जी. वर्ग में भूखण्ड आवंटन हेतु दिनांक 24.02.2022 को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय द्वारा दिनांक 13.04.2022 को भूखण्ड आवंटन हेतु निकाली गई लॉटरी में आवेदिका को भूखण्ड संख्या 52, क्षेत्रफल 53.95 वर्गमीटर, श्रेणी एल.आई.जी. आवंटित किया गया। जिसका आवंटनध्मांग पत्र दिनांक 10.05.2022 को जारी किया गया।

आवेदनकर्ता द्वारा कार्यालय में पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आवेदनकर्ता को आवंटित भूखण्ड का आकार न तो आयताकार है और न ही वर्गाकार है तथा भूखण्ड का अग्र भाग (फ्रंट) 2.84 मीटर चौड़ा है जो निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं होना बताया गया है, एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों के फलस्वरूप आवंटित भूखण्ड संख्या 52, के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पूर्व दिशा में 5.34 मीटर, उत्तर दिशा में 13 मीटर, दक्षिण दिशा में 14.22 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 2.84 मीटर लम्बाई चौड़ाई में उपलब्ध है। भूखण्ड के अग्रभाग 2.84 मीटर से सैट बैंक 1.50 मीटर छोड़ने के उपरान्त लगभग 3.00 मीटर मिलता है तथा निर्माण योग्य 49 वर्गमीटर (बिल्डअप एरिया) बचता है जो निर्माण हेतु पर्याप्त क्षेत्रफल उपलब्ध होना बताया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार वैकल्पिक भूखण्ड उसी अवस्था में दिया जा सकता है जबकि आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो अथवा भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं हो अथवा भूखण्ड न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हो अथवा भूखण्ड में बिल्डअप एरिया मिलना संभव नहीं हो। अतः विधिक राय अनुसार उक्त भूखण्ड वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने हेतु किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है।

उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 10.05.2022 को ऑनलाईन माध्यम से जारी किया जा चुका है। आवंटन की शर्तानुसार भूखण्ड की कीमत के मध्य देय राशि 5,96,852/- रूपये 30 दिवस में जमा कराये जाने थे, जो कि आवेदनकर्ता द्वारा आज दिनांक तक जमा नहीं कराये गये हैं।

अतः आवेदनकर्ता श्रीमती नीता यादव पुत्री श्री जगमाल सिंह यादव को भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की नवसृजित आवासीय योजना अशोक विहार, नीमराणा में भूखण्ड संख्या 52 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित किये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त प्रकरण पर आवेदनकर्ता श्रीमती नीता यादव पुत्री श्री जगमाल सिंह यादव को भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की नवसृजित आवासीय योजना अशोक विहार, नीमराणा में भूखण्ड संख्या 52 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित नहीं किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

81

06. मैसर्स श्याम कन्सट्रक्शन कंपनी पर लोक निर्माण समिति द्वारा किये गये निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने के संबंध में—

माननीया अध्यक्ष महोदया, बीडा भिवाड़ी को मैसर्स श्याम कन्सट्रक्शन कंपनी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28.12.2022 द्वारा सेक्टर 6 में पेवरीकरण के कार्य तथा गौरवपथ आलमपुर मंदिर से बस स्टैंड होते हुए तिजारा रोड तक सड़क निर्माण कार्य में बीडा द्वारा अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत की गई कार्यवाही तथा टैंडर डालने पर लगाए प्रतिबंध को अपनी मानसिक व वित्तीय परेशानियों के कारण पुनर्विचार बाबत निवेदन किया गया है।

श्रीमान विशिष्ट सहायक माननीया मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर एवं अध्यक्ष महोदया बीडा भिवाड़ी के निर्देशानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही बाबत लिखा गया है। उक्त क्रम में संवेदक द्वारा अत्यंत धीमी प्रगति से कार्य करने एवं संवेदक को बार-बार नोटिस देने के पश्चात भी संवेदक द्वारा कार्य शुरू करने में कोई रुचि न दिखाने के कारण संवेदक के खिलाफ अनुबंध की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा की अध्यक्षता में लोक निर्माण समिति की 7वीं बैठक दिनांक 28.03.2022 के निर्णयानुसार "प्रकरण में अनुबंध धारा 32 के तहत Work Withdraw, अनुबंध की धारा 2 व 3सी के तहत कार्यवाही एवं बकाया कार्य की निविदा पुनः आमंत्रित करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से समिति द्वारा किया गया, साथ ही समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से संवेदक को आगामी 01 वर्ष तक बीडा की निविदाओं से वंचित (Debar) करने का निर्णय लिया गया।" जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के पत्रांक 354-65/22 दिनांक 11.04.2022 द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्यवाहीकर, उक्त कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की जाकर अन्य संवेदक से कार्य करवाया जा रहा है एवं वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा संवेदक द्वारा उक्त प्रकरण में राहत चाहने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में वाद दायर किया हुआ है।

PWF&R Vol. II and Point No. 254 Appendix XVI section 1 point 1.31 के निम्नानुसार किए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नानुसार वर्णित किया हुआ है—The order issued by competent authority under section VIII of these rules regarding blacklisting, demotions, removal, suspension or debarring can be reviewed by next higher authority on receipt of review application from contractor.

अतः मैसर्स श्याम कन्सट्रक्शन कंपनी पर लोक निर्माण समिति की 7वीं बैठक में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर लोक निर्माण समिति की 7वीं बैठक में लिये गये संवेदक को आगामी 01 वर्ष तक बीडा की निविदाओं से वंचित (Debar) करने का निर्णय पर माननीय मंत्री महोदया के समक्ष पुनर्विचार/समीक्षा हेतु अपनी अनुशांसा के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

81

07. 224 EWS Zone 1A के अन्तर्गत आवासों के लंबित निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु आई.आई.टी. रूड़की से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के संबंध में-

EWS Zone 1A के अन्तर्गत 224 आवासों के निर्माण कार्य का कार्यादेश मैसर्स दिविजा इन्फ्रास्ट्रक्चर जयपुर को वर्ष 2010 में तत्कालीन न्यास के आदेश क्रमांक 716-24/10 दिनांक 25.05.2010 द्वारा राशि रुपये 06.00 करोड़ दिया गया था। कार्य प्रारंभ करने की तिथि 04.06.2010 एवं कार्य समाप्ति तिथि 03.09.2011 थी। संवेदक द्वारा वर्ष 2012 में कार्य के तहत बनाये जा रहे 05 ब्लॉकों के कार्य को विभिन्न स्तर पर अधूरा छोड़ दिया गया था। संवेदक द्वारा किये गये कार्य हेतु न्यास भिवाड़ी द्वारा राशि रुपये 2.09 करोड़ का भुगतान किया गया था। बीडा की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2021 में लिये गये निर्णयानुसार अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु Risk & Cost पर बीडा भिवाड़ी द्वारा ए ब्लॉक से ई ब्लॉक तक निर्माण हेतु 05 निविदायें जारी की गईं। निविदा पश्चात न्यूनतम निविदादात मैसर्स अनिल गुप्ता को शेष बचे कार्य के पांच कार्यादेश दिनांक 07.03.2022 को कुल राशि 717.81 लाख के जारी किये गये। जिसमें कार्य की समयावधि 09 माह अर्थात् 16.12.2023 तक पूर्ण किया जाना था।

संवेदक द्वारा अधूरे कार्य की खराब स्थिति को लेकर पत्र लिखा जाने पर बीडा द्वारा MNIT की टीम के साथ अधूरे कार्य का मौका निरीक्षण दिनांक 01.05.2022 एवं Non Destructive Test दिनांक 14.06.2022 को किया गया। MNIT टीम द्वारा जांच में Compressive Strength of Column में Variation एवं निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति को देखकर Not Advisable to Continue for the further casting के सुझाव दिये गये। तत्पश्चात उक्त प्रकरण को लोक निर्माण समिति की 9वीं बैठक दिनांक 10.08.2022 में लिये गये निर्णयानुसार "अधूरा निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु पूर्व में निर्मित Structure के Continuous में आगे निर्माण कराया जा सकता है या नहीं के क्रम में आई.आई.टी. रूड़की से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में आई.आई.टी. रूड़की से टेस्टिंग रिपोर्ट देने हेतु पत्र क्रमांक 5205/22 दिनांक 01.09.2022 को दिया गया था एवं बीडा द्वारा आई.आई.टी. रूड़की की मांग पर राशि 7,08,000/- का भुगतान दिनांक 02.09.2022 किया जा चुका है। इसी क्रम में रूड़की टीम द्वारा दिनांक 18.09.2022 से 20.09.2022 तक मौके का निरीक्षण कर block-A के ground floor, first floor, block-C के ground floor, first floor व second floor, block-E के ground floor, first floor second floor व third floor पर विभिन्नवांछित टेस्ट किये गये। मुख्य रूप से Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) test, Rebound hammer test, core test आदि टेस्ट किये गये।

टेस्ट के पश्चात आई.आई.टी. रूड़की द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में UPV test result टेबल 03 पर वर्णित concrete result में लिए गये कुल 56 सेम्पल में से Good Category (3.5-4.5) में 29 प्रतिशत, Medium Category (3.0-3.5) में 41 प्रतिशत, Doubtful Category (below 3.0) में 30 प्रतिशत result प्राप्त हुये हैं। इसी प्रकार Rebound hammer test 84 स्थानों पर किया गया जिसमें Very Good (Above 40) में 5 प्रतिशत, Good (30-40) में 75 प्रतिशत, Fair (20-30) में 5 प्रतिशत एवं core sample में average equivalent cube strength of concrete of the columns 13.3, average equivalent cube strength of concrete of the beams 20.3, average equivalent cube strength of concrete of the foundation 16.6 MPa प्राप्त हुई।

सभी टेस्टों के आधार पर आई.आई.टी. रूड़की की टीम द्वारा बिन्दु संख्या 9 पर conclusions बिन्दु संख्या 10 पर निम्न Recommendation दी गई है -

#### CONCLUSION -

Based on the present investigation, the following conclusions can be drawn:

- 1) The majority of the structural work at the site appeared to be in stable condition but cracking of various members was noticed mostly due to corrosion.
- 2) The column reinforcement was exposed completely at the top-floor level. Also, at various places the reinforcement was exposed out of concrete members (slab and beams) experiencing corrosion.
- 3) The majority of the UPV readings fell in the range of 3.0-3.5 Km/s describing the quality of concrete as Medium. About 29% UPV readings described the concrete to be of good quality, 41% readings described the concrete of medium quality and 30% readings described the concrete to be of Doubtful quality. Thus, a total 71% readings described the concrete to be of inferior quality.

81

- 4) The rebound number varied from 26 to 44 describing the range of quality of concrete in terms of surface hardness as fair to good. A majority of the average rebound number fell in the range of 30 to 40 describing the quality of concrete as good in terms of surface hardness.
- 5) The average equivalent cube strength of concrete of the columns, beams and foundation was found to be 13.3, 20.3 and 16.6 MPa, respectively prescribed by IS-456, 2000 is M20 (20 MPa characteristic strength).
- 6) After performing the seismic analysis of G+3 storey building, it has been observed that various beams and columns underwent failure under seismic loading showing either the inadequacy of the section to carry the load demands or due to lack of reinforcement or due to lack of material strength. Particularly, a large number of columns (highlighted in red) have experienced failure under seismic loading, see Figs. 41-42

### RECOMMENDATION –

- 1) Based on the numerical analysis of G+3 storey building model, it is recommended that the strengthening of the beams columns failed due to seismic loads shall be carried out in such a way that the section of the structural member could be increased through jacketing of the member. The tentative cost of the jacketing for one column up to three-meter height is provided in Table 12.
- 2) उपरोक्त रिपोर्ट को दुष्टि गत रखते हुए वर्तमान स्थिति में ही आगे का निर्माण करते हुए आवासों (G+3) का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना तकनीकी रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है। भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसी रिपोर्ट के Recommendation में यह वर्णित किया गया है कि कोलम को आवश्यक विधि को अपनाते हुए Strengthening करनी होगी Strengthening करने में एक कोलम पर 29459 (Upto 3 mtr height) रु की राशि व्यय होगी।
- 3) किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पूर्व में प्रोजेक्ट पर व्यय हुई राशि व यदि इसी structure को काम में लेते हुए निर्माण किया जाता है तो Strengthening पर होने वाला व्यय को दृष्टिगत रखना होगा।
- 4) निर्माणाधीन EWS आवासो के भू-तल पर कुल 21 कॉलम निर्मित है। कुल निर्मित कॉलम का विवरण निम्नानुसार है: –
  - Tower E -  $21 \times 2 \times 4 = 168$  (21no \* 2block\* 4floor)
  - Tower C -  $21 \times 2 \times 2 + 21 \times 4 \times 3 = 378$  (21no \* 2block\* 2floor+ 21no \* 4block\* 3floor)
  - Tower A -  $21 \times 2 \times 1 + 21 \times 1 \times 2 = 84$  (21no \* 2block\* 1floor+ 21no \* 1block\* 2floor)
  - Total = 630 nos columns

कृपया रिपोर्ट में conclusion में वर्णित टिप्पणी का अवलोकन करे जिसमें वर्णित है कि About 29% UPV readings described the concrete to be of good quality, 41% readings described the concrete of medium quality and 30% readings described the concrete to be of Doubtful quality. Thus, a total 71% readings described the concrete to be of inferior quality अर्थात् रिपोर्ट अनुसार 71 प्रतिशत कॉलम को inferior quality माना गया है जिसमें 30 प्रतिशत Doubtful quality के कॉलम सम्मिलित है। रिपोर्ट अनुसार कुल 56 कॉलम का randomly test किया गया था अर्थात् 100 प्रतिशत कॉलम का टेस्ट नहीं किया गया है। यह कहना संभव नहीं है कि कुल 630 columns में से कौन से 71%/30% की Strengthening की जानी होगी। वर्तमान स्थिति में प्रतीत होता है कि समस्त कॉलम की Strengthening की जावे। यदि समस्त कॉलम की Strengthening की जाती है तो इस पर 29459 रु प्रति कॉलम की दर से कुल लगभग  $630 \times 29459 = 1.86$  करोड़ (+/-20% variation) का व्यय आना संभावित है।

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में MNIT द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.06.2022 में निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति को देखकर not advisable to continue further casting के सुझाव दिये गये थे। Looking to the present conditions of the buildings, it is not advisable to continue further casting as rebaring is difficult to be done due to small sizes of RCC structural members, reinforcement is also corroded heavily at many location and it is curtailed at almost all the locations (with insufficient overlap length).

8

अतः आई.आई.टी. रुड़की एवं MNIT की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए EWS Zone 1A के अन्तर्गत 224 आवासों के निर्माण कार्य की Strengthening के बारे में निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर आवेदनकर्ताओं को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ मूल राशि लौटाई जाने का निर्णय लिया गया तथा वर्तमान में मौजूद संरचना (Structure) के विधिक दायित्व/कानूनी उत्तरदायित्वों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त उक्त संरचना (Structure) को ध्वस्त कर उपलब्ध भूमि के निष्पादन किये जाने के संबंध में बीडा बोर्ड बैठक में निर्णय होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

✍

08. ग्राम पंचायत नाखनौल के खसरा नं० 113 रकबा 5.44 हैक्टर गै.मु.बहेड में जोहड खुदाई एवं अन्य कार्यों हेतु अनाप्ति दिये जाने के क्रम मे -

माननीय सरपंच ग्राम पंचायत नाखनौल पं०स० तिजारा (अलवर) के पत्र क्रमांक 25 दिनांक 13.09.2022 द्वारा ग्राम पंचायत नाखनौल के खसरा न 113 रकबा 5.44 हैक्टर गै.मु.बहेड मे जोहड खुदाई पहाड के पास मे सुरक्षा दिवार, पॉड निर्माण कार्य श्मशान घाट के पास, फार्म पॉड निर्माण कार्य झरनावाला जोहड के पास नाखनौल मे कार्य कराये जाने हेतु अनाप्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

जमाबन्दी संवत 2073-76 मे ग्राम नाखनौल तहसील टपूकडा के अराजी खसरा न 103 रकबा 5.44 हैक्टर भुमि किस्म गै.मु.बहेड भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं इस भुमि का मास्टर प्लान बी.के.टी. 2041 के अनुसार भु-उपयोग Proposed Natural Conservation Area (एन.सी.ए.) एवं आवासीय मध्य घनत्व एवं पार्ट हाई डेनसीटी मीक्स यूज दर्शित है।

प्रकरण अनाप्ति दिये जाने के निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर इस प्रकरण में अनाप्ति नही दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

३१

99. Jio Digital Fibre Private Limited द्वारा cable/manhole/chamber डालने हेतु राशि अवधि के निर्णय के क्रम में -

Jio Digital Fibre Private Limited द्वारा शिव मन्दिर खानपुर से खानपुर मोड़ मिवाड़ी तक अंडरग्राउण्ड OFC Cable डाले की NOC वास्ते आवेदन किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश No.F.10(147) UDH/3/2008 Part-III Jaipur Date 06 Feb, 2017 पैरा 10(e)&(f) अनुसार charges की गणना की गई है order अनुसार manhole/chamber का charge @ 10% of the DLC अनुसार लगाया गया है order के 10(F) अनुसार The licensee may, if he so desires, deposit one time charges under clause (b) or clause (c) or clause (d), clause (e), as the case may be, which would be equal to eight times of such full annual charges. Such a payment would exempt the licensee from further liability of payment of aforesaid annual charges under clause (b) or clause (d), clause (e), as the case may be. जिसके अनुसार पूर्व में वार्षिक देय के अनुसार डिमांड नोट जारी किया गया था। जो कि आवेदनकर्ता द्वारा जमा करवा दिया गया था। तत्पश्चात पुनः एकमुश्त देय अनुसार Revise demand notice जारी किया गया है।

आवेदनकर्ता द्वारा charges की राशि एकमुश्त के स्थान पर वार्षिक जमा कराये जाने हेतु पुनः मांग पत्र जारी करने का आग्रह किया गया है।

अतः आवेदनकर्ता से Restoration की राशि एकमुश्त अथवा Annual Charges लिये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर आवेदनकर्ता से Restoration की राशि एकमुश्त लिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

४

10. बीडा की नवसृजित योजना "बाबा मोहन राम थोक फल सब्जी मण्डी" में भूखण्ड निस्तारण की प्रक्रिया के निर्धारण के क्रम में -

बीडा बैठक दिनांक 17.06.2022 के बिन्दु संख्या 18 के निर्णय:- प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बीडा भिवाडी की नव सृजित व्यावसायिक योजना, "बाबा मोहन राम थोक फल सब्जी मण्डी" ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 951/665 एवं 949/738 कुल रकबा 10.75 है0 मे से 10000 वर्गमीटर भूमि पर, 43 पंजीकृत व्यावसायियो को प्रथम बार में लॉटरी के माध्यम से आरक्षित दर से व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किए जाने एवं इसके उपरान्त भोश रहे भूखण्डो को खुली नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का निर्णय प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

उक्त क्रम मे बीडा पत्र क्रमांक 604/22 दिनांक 22.09.2022 के क्रम में लिए गए निर्णय के क्रम में राज्य सरकार से स्वीकृति चाही गई।

राज्य सरकार को प्रेशित बीडा पत्र क्रमांक 604/22 दिनांक 22.09.2022 की पालना में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.28(21)उद्योग/1/2021 जयपुर दिनांक 29.11.2022 के अनुसार "बाबा मोहन राम थोक फल सब्जी मण्डी" के भूखण्ड निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा अनुज्ञयाधारी एवं वास्तविक रूप से कार्यरत कुल 43 व्यवसायियो को आरक्षित दर 39600/-रूपये प्रतिवर्गमीटर पर दुकानो के भूखण्ड लॉटरी के आधार पर आवंटित किए जाए आवंटन किए जाने वाले भूखण्ड आवंटन से पूर्व ही चिन्हित कर लिए जाए। तत्प चात भोश रही दुकानों के भूखण्डों को खुली नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जावें। अतः राज्य सरकार (उद्योग विभाग) के निर्देश अनुसार प्रथम चरण में दुकानो को लॉटरी के माध्यम से आवंटन हेतु प्रक्रिया निर्धारण के क्रम में समिति के समक्ष निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर राज्य सरकार (उद्योग विभाग) के निर्देश अनुसार प्रथम चरण में दुकानो को लॉटरी के ले-आउट में दर्शित श्रेणी सी (70 से 90 मि.) प्लाट 41 से 57 (17), 95 से 96 (2), 98 से 104 (7), 107 से 111 (5), 113 से 120 (8), 124 से 127 (4) में समान श्रेणी से प्रथम चरण में लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड मुख्य सडक (30 मीटर) एवं कोने पर स्थित नही होने चाहिए।

४

11. बीडा भिवाड़ी द्वारा नगर परिषद निवाड़ी को भूमि विक्रय से प्राप्त राशि की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि का हस्तांतरण/समायोजन के क्रम में-

बीडा भिवाड़ी द्वारा नगर परिषद निवाड़ी को भूमि विक्रय से प्राप्त राशि की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि का हस्तांतरण/समायोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक भूमि विक्रय से प्राप्त राशि का हस्तांतरण/समायोजन किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान भूमि विक्रय से कुल राशि रु 4979.37 लाख प्राप्त हुई है। जिसकी नगर परिषद भिवाड़ी को देय 15 प्रतिशत हिस्सा राशि रु 746.90 लाख होती है। नगर परिषद भिवाड़ी को इस अवधि के दौरान 250.00 लाख (75.00 लाख दो बार एवं एक करोड़ एक बार कुल 250.00 लाख) रुपये हस्तांतरित किये जा चुके हैं। इस प्रकार इस अवधि के 496.90 लाख हस्तांतरण किया जाना बकाया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बीडा भिवाड़ी द्वारा नगर परिषद को हस्तांतरित योजनाओं/क्षेत्राधिकार में संलग्न सूची अनुसार 16 कार्यों पर (7 कार्य पूर्ण एवं 9 कार्य प्रगतिरत) 846.80 लाख का व्यय होना संभावित है। जिसको समायोजित किया जाना है।

नगर परिषद भिवाड़ी के पत्र क्रमांक 5709 दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 01 द्वारा उन्होंने भूमि विक्रय से प्राप्त राशि के 15 प्रतिशत हिस्सा राशि के हस्तांतरण के क्रम में अवगत कराया है कि बिना स्थानीय निकाय की सहमति या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के भविष्य में कराये जाने वाले विकास कार्यों या अन्य किसी कार्य का किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार प्रकरण अवलोकनार्थ एवं नगर परिषद भिवाड़ी को भूमि विक्रय से प्राप्त राशि की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि हस्तांतरण/समायोजन के क्रम में प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय:- उक्त प्रकरण में बीडा, भिवाड़ी की प्रथम बैठक दिनांक 14.09.2018 के एजेण्डा (1) में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, राजस्थान विशेष विनिधान रीजन नियम 2016 के नियम 12 के तहत भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि निष्पादन नियम बनाये जाने की अवधि तक राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 को **Adopt** किया गया है।

अतः **Disposal Urban Land Rules 1974** के नियम 6(1) तथा संबंधित परिपत्र दिनांक 15.04.2010 के अनुसार 15 प्रतिशत राशि का हस्तांतरण नगर परिषद को किया जाना नियम संगत है। कार्यकारी समिति द्वारा यह निर्णय लिया जाता कि नगर परिषद क्षेत्र में बनाए जाने वाले पिक टायलेट की राशि का समायोजन कर शेष राशि नगर परिषद को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

81

12. बीडा में ग्रेटर भिवाड़ी के जोनल उपलपमेंट प्लान के जोन-ए के ड्राफ्ट प्रकाशन के पश्चात स्वीकृति के संबंध में -

ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान-2041 के अधीन क्षेत्र का जोनल प्लान तैयार किए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर दिनांक 24.12.2021 को कार्यादेश याशी कंसलटिंग प्रा०लि० को जारी किया गया है। उक्त क्रम में कार्य दिनांक 05.01.2022 से प्रारंभ किया गया। जोनल डेवलपमेंट प्लान भिवाड़ी-खुशखेड़ा-टपूकड़ा जोन-ए की आपत्ति/सुझाव हेतु विज्ञप्ति दिनांक 10.11.2022 को प्रकाशित की गई। जिसके क्रम में दिनांक 14.11.2022 से दिनांक 05.12.2022 तक आपत्ति प्राप्त की गई है, जिसमें कुल 23 आपत्तियाँ प्राप्त की गई हैं, जो कि पत्रावली के साथ संलग्न कर समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ सादर प्रस्तुत है -

उक्त जोन में प्रस्ताव/तथ्य निम्नानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत है-

1. जोन-ए के दक्षिण-पश्चिम में स्थित टाउनशिप जोन-60मी0, 30मी0 और 24 मी0 चौड़ी सड़क के कार्यालय सी.टी.पी. (एनसीआर) के पत्र दिनांक 09.11.2012 द्वारा अनुमोदित सेक्टर योजना के अनुसार प्रस्तावित है। अतः विचारार्थ
2. अलवर रोड के साथ-साथ और टाउनशिप जोन के आसपास के अधिकांश क्षेत्रों को विकसित किया गया है और चूंकि विकासकर्ताओं के पास छोटे भूखण्ड हैं जिसके कारण टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग विकसित करने के लिए निजी विकासकर्ताओं की कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं है। अतः निजी विकासकर्ताओं द्वारा कम से कम 10 एकड़ भूमि पर ग्रुप हाउसिंग (फ्लैटेंड डेवलपमेंट) तथा न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर टाउनशिप विकसित करने की शर्त हटाई जाती है। इस क्षेत्र में विकास के मानदंड वही होंगे जो अन्य आवासीय क्षेत्रों में लागू हैं। अतः विचारार्थ।
3. मास्टर प्लान की विद्यमान और प्रस्तावित सड़कें 60मी0, 45मी० और 30मी0 के रास्ते के मार्गाधिकार के साथ जोनल डेवलपमेंट प्लान में शामिल हैं। इसके अलावा 24 मीटर के रास्ते के मार्गाधिकार वाली विद्यमान सड़कों को भी जोनल डेवलपमेंट प्लान में दिखाया गया है। अतः विचारार्थ।
4. मास्टर प्लान में प्रस्तावित हाई डेन्सिटी मिक्स्ड यूज के अलावा जोनल डेवलपमेंट प्लान में 24 मीटर और उससे अधिक राइट ऑफ वे में आने वाली सड़कों के दोनों ओर मिक्स्ड यूज प्रस्तावित है। मिश्रित उपयोग की चौड़ाई सड़क की चौड़ाई का डेढ़ गुना या संपत्ति की एकल गहराई, जो भी कम हो होगी। जिन गतिविधियों को मिश्रित उपयोग में अनुमति दी जा सकती है। Annexure-1 में दिए गए हैं। अतः विचारार्थ।
5. शहरी विकास विभाग द्वारा पत्र संख्या एफ11(9)यूडीडी/2020, दिनांक- 17.06.2022, भाग (Annexure-2) के माध्यम से जारी मानदंडों के अनुसार उच्च तनाव लाइनों (11KV से 400KV) के साथ सुरक्षा गलियारा प्रदान किया जाता है। अतः विचारार्थ।
6. खिजूरीवास गांव में 5 है० से अधिक क्षेत्रफल वाले जल निकाय के चारों ओर 30 मीटर चौड़ा हरित बफर प्रस्तावित है। अतः विचारार्थ।
7. Recreational use में पार्क, खेल के मैदान, खुले स्थान, संरक्षित वन और सड़क के साथ हरित पट्टी को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रुप हाउसिंग/टाउनशिप में प्रदान किए गए हरित स्थान को भी Recreational use के तहत माना गया है। अतः विचारार्थ।
8. जोन में डेवलपमेंट Development Promotion and Control के अनुसार विनियमित किया जाएगा, जो कि ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान-2041 के अनुसार होंगे। अतः विचारार्थ।

४

9. समस्त वचनबद्धताएं (Commitments) ले-आउट प्लान का अनुमोदन, मू-उपयोग परिवर्तन, 90 बी एवं 90ए के आदेश, भूमि का आवंटन, जोनल डवलपमेंट प्लान में सम्मिलित है, यदि सहवन से जिन मामलों को छोड़ दिया गया है, उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। प्रतिबद्धताओं की सूची Annexure-3 में संलग्न है। अतः विचारार्थ।
10. मानचित्रों में नदियों, तालाबों, जोहड़ तथा अन्य जलाशयों को दर्शाया गया है, परन्तु कुछ Water Bodies यदि दर्शाये जाने से रह गयी हो तो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ही मानी जावेगी। अतः विचारार्थ।
11. मानचित्रों में नगरपालिका सीमा, ग्राम सीमा, राज्य सीमा उपलब्ध अभिलेख के अनुसार चिन्हित है लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति संबंधित विभाग के अनुसार ही होगी। अतः विचारार्थ।

अतः उपरोक्तानुसार तैयार किए गए जोनल डवलपमेंट प्लॉन के समस्त बिन्दु अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति के संबंध में विचारार्थ समिति के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर बीडा भिवाडी मे ग्रेटर भिवाडी के जोनल डवलपमेंट प्लान के जोन-ए के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

४१

13. बीड़ा (भिवाड़ी) के लिये पैनल लायर नियुक्त करने के सम्बंध में:-

बीड़ा भिवाड़ी के विरुद्ध संस्थित होने वाले वाद/याचिका में बीड़ा भिवाड़ी के लिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ, राज्य सूचना आयोग जयपुर, न्यायालय राजस्व बोर्ड अजमेर, अलवर जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय जिला न्यायाधीश, स्थाई लोक अदालत, राजस्व न्यायालय एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालय हेतु बीड़ा भिवाड़ी की ओर से दावा, जबाबदावा अपील एवं प्रतिरक्षण हेतु निम्न अधीवक्ताओं द्वारा पैनल लायर नियुक्त होने हेतु आवेदन किया गया है।

| क्र. स. | अधिवक्ता का नाम   | एनरोलमेन्ट न. | न्यायालय का नाम  |
|---------|-------------------|---------------|--|
| 1       | प्रदीप मलिक       | आर/119/2006   | राज, उच्च न्यायालय जयपुर पीठ   |
| 2       | विपुल जैमन        | आर/2058/1998  | राज. उच्च न्यायालय जयपुर पीठ   |
| 3       | संतोष जैमन        | आर/2011/2006  | राज्य सूचना आयोग जयपुर   |
| 4       | धर्मेन्द्र गुर्जर | आर/2323/2005  | राज्य सूचना आयोग एवं रेरा एवं विभिन्न राज्य अधिकरण जयपुर                               |
| 5       | ओमानन्द चौधरी     | आर/1561/2003  | अलवर जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न न्यायालय  |
| 6       | अशोक यादव         | आर/1561/2003  | बहरोड, नीमराणा, मुण्डावर एवं कोटकासिम स्थित विभिन्न अधीनस्थ एवं उपखण्ड राजस्व न्यायालय |

बीड़ा निवाड़ी पैनल लायर नियुक्ति बावत् उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ग्रुप-1 के पत्रांकरू-4.7 (27) उद्योग ६१६२०२२ दिनांक 13.12.2022 द्वारा श्रीमान सयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार पैनल लायर नियुक्त करने हेतु बीड़ा संचालक मण्डल के स्तर से निर्णय लिये जाने हेतु बीड़ा संचालक मण्डल को (कार्यकारिणी समिति) अधिकृत किया गया है अतः श्रीमान संयुक्त शासन सचिव एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशानुसार बीड़ा निवाड़ी की ओर से पैनल लायर नियुक्ति हेतु पत्रावली कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तावित है।

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया तथा भविष्य के लिए निर्धारित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विधि पारामर्शी, वरिष्ठ लेखाधिकारी की समिति द्वारा अधिवक्ताओं के पात्रता निर्धारित कर उसके के आधार पर अनुसंशा के साथ कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

४

14. भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाडी की समस्त पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन हेतु दर निर्धारण के संबंध में :-

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त समस्त सेवाओं को ऑनलाईन किया जाना है, जिसके लिये प्राधिकरण में वर्तमान में उपलब्ध समस्त भूखण्डों को एक यूनिक आई0डी0 दिया जाना तय किया गया था। उक्त कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के समस्त भूखण्डों का डाटा इंद्राज किया गया है।

उक्त कार्य हेतु प्रत्येक भूखण्ड की यूनिक आई.डी. बनाना, भूखण्ड आवंटन की स्थिति में अंतिम आवंटी की जानकारी दर्ज करना, लीज की जानकारी दर्ज करना एवंसंबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना सम्मिलित है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के परिपत्र क्रमांक F11(135)/DOIT/PROJECT/2012/PT-2/03256/2019 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार आवेदन भरने (भर्ती प्रक्रिया/रजिस्ट्रेशन /सरकारी स्कीम में आवेदन जिसमें केवल डाटा एन्ट्री व 3, ए-4 साईज पेज अपलोड के लिए 50 रु प्रति आवेदन निर्धारित किया गया है। उक्त परिपत्र में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा हुए संशोधनों के पश्चात दिनांक 11.03.2022 तक समस्त सरकारी आवेदन हेतु 50 रु निर्धारित व अन्य सेवाओं के लिए 100 रु निर्धारित किया गया है।

चूंकी प्राधिकरण के डिजिटाइजेशन का कार्य भी इसी प्रकृति व संवेदनशील होने के कारण डिजिटाइजेशन कार्य कार्यालय में संपादित करनेहेतु निम्न दरों का निर्धारण किये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है -

| क्रमांक | सेवा                                  | दर            | टिप्पणी                             |
|---------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1.      | पत्रावलियों को डिजिटाइज करने का कार्य | 20 रु         | केवल डाटा एंट्री (संपूर्ण पत्रावली) |
|         |                                       | 25 रु         | डाटा एंट्री व अधिकतम 3ए-4 पेज अपलोड |
|         |                                       | 25 रु + 15 रु | 4 से 10 पेज                         |
|         |                                       | 40 रु + 15 रु | 10 से 20 पेज                        |

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त प्रकरण में उक्त निर्धारित दरों पर सहमति सर्वसम्मति से ली गई।

✍

15. भवानी इन्टरप्राइज द्वारा कार्यालय बीडा, भिवाडी में मैन पावर (एक्स सर्विस मैन, सिविल गार्ड, ड्राईवर, सफाई कर्मचारी) जून माह से उपलब्ध कराए जा रहे। संबंधित एजेंसी द्वारा उक्त कार्मिकों का जून माह से अक्टूबर माह की पी.एफ राशि का भुगतान जमा कर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा कार्यालय में लगाए गए कार्मिकों का नवम्बर व दिसम्बर माह का भुगतान नहीं किया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त प्रकरण में एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

४



16. भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाडी में लोक जन सम्पर्क अधिकारी का नवीन पद सृजन के संबंध में :-

सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय, अलवर द्वारा पत्र क्रमांक जसका/अल/2023/131 अलवर दिनांक 20.01.2023 द्वारा भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) में राज्य सरकार की योजनाओं, बीडा के कार्यों, विकास योजनाओं, आदि के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु बीडा भिवाडी में एक जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) का पद पे-स्केल एल-12, ग्रेड-पे 4800,r.p. band 9300-34800 का पद स्वीकृत करने का अनुरोध है। अतः बीडा भिवाडी में पीआरओ का पद सृजन हेतु निवेदन किया है।

निर्णय:- कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त प्रकरण में नवीन पद सृजन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

प्रतिलिपि:-

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर राज0।
02. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाडी।
03. उप खण्ड अधिकारी, तिजारा अलवर।
04. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर) जयपुर।
05. आयुक्त नगर परिषद भिवाडी।
06. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीडा भिवाडी।
07. वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबंधक, रीको युनिट 2 भिवाडी।
08. क्षेत्रिय प्रबंधक राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भिवाडी।
09. अधीक्षण अभियंता, बीडा भिवाडी।
10. रक्षित प्रति।



उप सचिव

भि.इ.वि.प्रा. (बीडा) भिवाडी।



उप सचिव

भि.इ.वि.प्रा. (बीडा) भिवाडी।